



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान

CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE)

ट्रैक्टर नगर, बुदनी (म.प्र.) 466-445

TRACTOR NAGAR, P.O., BUDNI (M.P.) 466-445

संख्या: 17-7/2011-स्थापना-(भाग-2)

दिनांक: 10.12.2018

निविदा सूचना

संस्थान में निम्नलिखित हाऊस कीपिंग कार्य के लिए निविदा 6 माह के लिए ठेके पर रखने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति दिनांक 21.12.2018 तक आवेदन कर सकते हैं। उसके पश्चात निविदा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

क्र.	हाऊस कीपिंग कार्य	दर
1.	गेस्ट हाऊस के सभी कमरे, खिडकी, दरवाजे, टेबिल, 5 बाथरूम को तथा उसकी रोड लगभग 500 वर्ग मीटर जिसे दिन में दो बार सफाई करनी होगी तथा रोड भी सुबह एवं शाम साफ करना होगा।	शासकीय दर के अनुसार
2.	कार्यालय में निदेशक महोदय के ऑफिस की खिडकी, दरवाजे एवं टेबिल की सफाई, सभी अधिकारियों के कमरों एवं सभी कर्मचारियों के कमरों की साफ-सफाई तथा 5 टॉयलेट हैं। उसकी सफाई दिन में 2 बार तथा कोरिडोर में दिन में 2 बार पोछा लगाना तथा सामने के एरिया में 2 बार सफाई करना।	(कलेक्टर दर से म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार)
3.	डिसपेन्सरी में खिडकी, दरवाजे, टेबिल की सफाई, टॉयलेट एवं उसके आस-पास के एरिया लगभग 500 वर्ग मीटर की सफाई करना।	
4.	ऑफिस गेट से लेकर स्टोर डीजल पम्प सेट स्टोर कारपेन्टरी लगभग 500 वर्ग मीटर इत्यादि की सफाई करना।	
5.	परीक्षण अनुभाग के सभी अधिकारियों के कमरों एवं सभी प्रयोगशाला के खिडकी दरवाजे, टेबिल एवं सभी कर्मचारियों के कमरों की सफाई करना। जिसमें 4 टॉयलेट हैं, उसकी दिन में 2 बार सफाई करना एवं पोछा लगाना। प्रतिदिन आधा किलोमीटर एवं एक किलो मीटर ट्रैक को सफाई करना।	
6.	सप्ताह में एक दिन कॉलोनी से रोडो लगभग 500 वर्ग मीटर की सफाई करना।	

शर्तें :-

1. सफाई के लिए सामान संस्थान द्वारा दिया जाएगा।
2. संस्थान द्वारा कर्मियों के कार्य की दर प्रति माह के अनुसार दी जायेगी।
3. श्रमिकों को कम से कम आठवीं कक्षा तक पढ़ा होना चाहिए।
4. श्रमिक की उम्र लगभग 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
5. श्रमिक शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए।
6. ठेके की अवधि समाप्ति के बाद श्रमिक के या ठेकेदार की ओर से किसी भी प्रकार की नियुक्ति का दावा पाने की अधिकार प्राप्त नहीं होना।
7. इयूटी करते समय यदि कोई अप्रिय घटना होती है/या शारीरिक अथवा मानसिक रूप से किसी को क्षति पहुंचती है तो सुरक्षा श्रमिक अथवा ठेकेदार को क्षति पूर्ति के लिए यह संस्थान/संस्थान को कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं होगा।
8. ठेकेदार द्वारा लगाए गए सभी श्रमिकों को ही लगाया जायेगा जिनका चरित्र ठीक हो और अपराधी प्रकृति न हो और साथ ही यह प्रमाणित करना होगा कि लगाए जाने वाले श्रमिकों के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन नहीं हो।

9. यदि आवश्यक हुआ तो कार्य की गुणवत्ता के आधार पर निदेशक ठेके की अवधि को कम वा अधिक भी कर सकते हैं।
10. ठेकेदार अथवा उसके श्रमिक की ड्यूटी के दौरान शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार का वहन करनी होगी।
11. यदि ठेकेदार का श्रमिक ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित पाया गया या सोते हुए एवं लापरवाही करता पाया जाता है तो उस दिन का भुगतान दैनिक दिहाड़ी की दर पर नहीं दिया जायेगा।
12. ठेकेदार के श्रमिक की ड्यूटी के दौरान चोरी की वारदात होती है तो उसकी भरपाई भी ठेकेदार को वहन करनी होगी और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदार जिम्मेदार होगी।
13. इनकम टैक्स/सर्विस टैक्स आदि नियमों का स्वयं ठेकेदार को पालन करना होगा।
14. श्रम संबंधी नियम निविदा दाता को स्वयं पालन करना होगा।
15. ठेकेदार द्वारा लगाए गए सभी श्रमिकों का पूर्ण विवरण बायोडाटा ठेके से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।
16. किसी भी टेण्डर की स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार संस्थान के निदेशक को होगा।
17. निदेशक महोदय को अधिकार सुरक्षित रहेगा कि किसी भी समय नियुक्ति बिना सूचना के रद्द किया जा सकता है।



कृते निदेशक

प्रतिलिपि :-

श्री आर.पी. पाण्डेय, उपकरण अभियन्ता—GeM पर एवं संस्थान की वेब साइट पर प्रकाशित करने हेतु।